

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अज अदालत
प्राथम्य :-
1. किरत
जज

01/03/23 - मखिवस्तागत इस्तास में कीरे के + राज पत्रावली
आइन्दा दिनांक 25/3/23 को पेश हो।

21/8

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आइन्दा दिनांक 22/8/23 को पेश हो।

22/8/23

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आइन्दा दिनांक 19/11/23 को पेश हो।

14/11/23

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आइन्दा दिनांक 15/11/24 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लबा होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 21/2/24
को पेश हो।

21/2/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लबा होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक
को पेश हो।

28/3/24

28/3/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लबा होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 6/6/24

6/6/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उम्मयपक्षकारान् अनुपस्थित।
स्थगन अर्द्धा की अवधि आगामी पेशी तारीख तक
बढ़ाई जाकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 09/06/24
को पेश हो।

Handwritten signature

5/7/1

राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन (बाड़मेर)

प्रार्थी :-

1. किरताराम पुत्र मानाराम
जाति जाट, निवासी सारला
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण

1. आदूराम पुत्र मानाराम
जातियान जाट, निवासी सारला
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

किरम मुकदमा राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न 225/18
प्रार्थी के वकील श्री मुकीन खान ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई व
पत्रावली का अवलोकन किया गया। सलंगन दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण
प्रार्थी के हक में कयास होता है। अतः विप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा
से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वो तहसील सेड़वा, पटवार क्षेत्र सारला के मौजा
सारला के खसरा सं. 787/186 रकबा 16.13 बीघा, खसरा सं. 792/192 रकबा 04.03
बीघा, खसरा सं. 799/203 रकबा 25.00 बीघा, खसरा सं. 803/203 रकबा 06.14 बीघा,
खसरा सं. 804/205 रकबा 13.16 बीघा कुल रकबा 66.06 बीघा भूमि में मौके एवं रेकर्ड
की यथास्थिति बनाये रखे। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस 07 दिवस में रजि.एडी.
सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जावे। तहसीलदार सेड़वा को
तहरीर जारी हो। तलबी विप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी.नोटिस की जाकर पत्रावली
दिनांक 06.08.18 को पेश हो।



कमांक / 2018 / 1576 7079
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेड़वा
2. प्रार्थी किरताराम
3. विप्रार्थीगण आदूराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/घोरीमन्ना/बाख्रासर/सेड़वा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक चौहटन

दिनांक
5/7/18

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक चौहटन